न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 32 /2019

प्रार्थी

दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर. पी.एम. रोड फार्ट, मुम्बई– 400001 तथा शाखा कार्यालय– 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश यादव।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमति संतोष मेघ सिंह परिहार, निवासी–प्लॉट नम्बर 01, खसरा नम्बर 425/848, करणी कॉलोनी, नागौर (राजस्थान) 341001 एवं निवासी– 222, मालियों का बारा, भदवासी, नागौर (राजस्थान) 341001 एवं कार्यालय पता–भदवासी, नागौर (राजस्थान) 334201
2. मेघ सिंह मधु सिंह परिहार, निवासी– प्लॉट नम्बर 01, खसरा नम्बर 425/848, करणी कॉलोनी, नागौर (राजस्थान) 341001 एवं निवासी– 222, मालियों का बारा, भदवासी, नागौर (राजस्थान) 341001

दिनांकः 20/05/20[illegible]

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठ[illegible] और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी [illegible] जरिये **ऋण करार संख्या 00000838 द्वारा 11,08,274/–(अक्षरे ग्यारह लाख आठ हजार दो सौ चौहत्र रुप[illegible] मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 06.04.2012** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्रा[illegible] ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति – आवासीय प्लॉट नम्बर 01, खसरा नम्बर 425/848, करणी कॉलोन[illegible] नागौर (राजस्थान) 341001 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1620 वर्गफीट है उक्त सम्पति श्रीमति संत[illegible] पत्नि मेघ सिंह के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांकित 27.07.2018 के अनुसार लिखी गई है,** [illegible] प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह [illegible] उक्त खाते को **दिनांक 01.06.2018** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खा[illegible] संख्या 00000838 में **रूपये 2,41,135/–(अक्षरे दो लाख इगतालीस हजार एक सौ पैंतीस रूपये मात्र) दिना[illegible] 12.06.2018 तक एंव इसके पश्चात् का ब्याज अतिरिक्त** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के ब[illegible] एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 15.06.2018** को रजिस्टर्ड नोटि[illegible] दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंध[illegible] शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन [illegible] अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 2,41,135 /–(अक्षरे दो लाख इगतालीस हजार एक सौ पैंतीस रूपये मा[illegible] दिनांक 12.06.2018 तक एंव इसके पश्चात् का ब्याज अतिरिक्त** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीग[illegible] ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्त[illegible] कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से क[illegible] लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज [illegible]

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **आवासीय प्लॉट नम्बर 01, खसरा नम्बर 425/848, करणी कॉलोनी, नागौर (राजस्थान) 341001 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1620 वर्गफीट है उक्त सम्पति श्रीमति संतोष पत्नि मेघ सिंह के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांकित 27.07.2018 के अनुसार लिखी गई** है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये **करार संख्या 00000838 द्वारा 11,08,274/–(अक्षरे ग्यारह लाख आठ हजार दो सौ चौहत्र रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 06.04.2012** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति उनके स्वामित्व मे सम्पति **सम्पति – आवासीय प्लॉट नम्बर 01, खसरा नम्बर 425/848, करणी कॉलोनी, नागौर (राजस्थान) 341001 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1620 वर्गफीट है उक्त सम्पति श्रीमति संतोष पत्नि मेघ सिंह के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांकित 27.07.2018** के अनुसार लिखी गई है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
नागौर